संख्या-173/2025/935/001-23-6099/26/2025

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2025**

विषय: जनपद सिद्धार्थनगर में धर्मार्थ योजनान्तर्गत सेमरी विस्कोहर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 0.00 से 16.000 का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-3051नि0/149-01नि0/2024-25, दिनांक 28.02.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में सेमरी विस्कोहर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 0.00 से 16.000 का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य की प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 4225.47 लाख (रूपये बयालीस करोड पच्चीस लाख सेतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत लागत के सापेक्ष रू0 1478.91 लाख (रूपये चौदह करोड अठहत्तर लाख इक्यानबे हजार मात्र) हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	जनपद	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	सिद्धार्थनगर नि0ख0	जनपद सिद्धार्थनगर में सेमरी विस्कोहर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 16.000 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (कुल लम्बाई 16.000 कि0मी0) कार्य।	4225.47	1478.91

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भन करने से पूर्व वित्तीयय हस्त पुस्तिका, खण्डा-6 के अध्यारय-12 के प्रस्त र-318 में वर्णित व्यावस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तकर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त् कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021510/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार स्वीकृति की जा रही प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुरनीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्ते किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्याय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(3) प्रयोजनान्तार्गत युटिलिटी शिफ्टिंग हेतु आकलित/अनुमोदित लागत से सम्बन्धित कार्यो का विभाग द्वारा स्वयं सत्यापन करते हुये न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर शिफिटंग का कार्य सुनिश्चित किया जाय।

(4) प्रायोजनान्तर्गत हार्टीकल्चर हेतु विभाग द्वारा उक्तव पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्य्य के आधार पर शिफ्टिंग का कार्य सुनिश्चित किया जाय।

(5) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भूमि अध्याप्ति हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति / अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाये।

(6) प्रायोजना में प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चौडाई इत्यादि तथा पक्के स्ट्रक्चर्स यथा-पुल, पुलिया, ड्रेन इत्यादि का निर्माण आई0आर0सी0/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग / कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।

(8) प्रायोजना में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। विभाग स्ततर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्ततर्गत विभिन्नन कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो। जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविकता के आधार पर देय होगी।

(9) प्रायोजनान्तर्गत कार्य में पुल/पुलियों का इक्सधटेंशन-तथा नाला-नाली आदि का निर्माण का प्राविधान किया गया है। भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण की सम्भाकवना के दृष्टिगत मार्ग के संरेखण में आने वाले पक्के स्टक्चगर(पुल/पुलिया/नाली इत्यादि) का निर्माण आई0आर0सी0/विभागीय मानकों में पूर्व निर्धारित फारमेशन विड(चौड़ाई) के अनुसार ही कराया जाय।

(10) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय विलयरेन्स। सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ् किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत कार्य की द्विरावृत्ति(डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य् योजना/कार्यक्रम में आच्छा्दित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रयोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(14) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(15) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75,दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11नवम्बमर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चत की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नकक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्रातियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्स फर इन्ट्रीक द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

(16) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(17) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(18) वित्तय विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19.06.2024 में निहित प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्व/रूप वस्क् से सम्ब1न्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्ति(आय-व्यवयक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी0-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्य)य को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त/ रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जायेगा।

(21) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(22) एस0ओ0आर0 के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 के पत्र संख्या-140/पी0एस0एम0एस0/2025, दिनांक 25.02.2025 एवं लोक निर्माण अनुभाग-9 के पत्र संख्या-आई/894783/2025, दिनांक 01.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,78,91,000 (रुपये चौदह करोड़ अठहत्तर लाख इक्यानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371100 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नये कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-1014-X-2024-25, दिनांक 28 मार्च, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- विशेष सचिव, धर्मार्थ कार्य अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6-सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
7- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11-सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12-वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13-राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14-अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15-लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ0प्र0 शासन।
16-नोडल अधिकारी(आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम),लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।